

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी

जिला मुंगेली (छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 6497 / DeGS/2019-20

मुंगेली, दिनांक : 11/11/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS)  
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन  
रायपुर, (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत लोरमी ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.039 हेक्टेयर का अनापत्ति पत्र प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

==00==

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS), स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर, (छत्तीसगढ़) द्वारा भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत लोरमी ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु राजस्व वनभूमि का भू प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है -

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े के जंगल)

| क्र | तहसील | ग्राम          | खसरा | रकबा हे. | मद                | रिमार्क |
|-----|-------|----------------|------|----------|-------------------|---------|
| 1   | लोरमी | नया गोंव दयाली | 70/1 | 0.039    | बड़े झाड़ के जंगल |         |

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतः उक्त भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग

11-11-19

किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा सम्बधित फर्म/ संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के सम्पदन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

  
11.11.19  
कलेक्टर  
जिला मुंगेली